13.8.20	पत्रावली पेश हुई / अधिवक्तागण अवकाश / न्यायिक कार्य स्थगित रखा / P.O. के मीटिंग / बाहर / अवकाश में। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 17.8.20 को पेश हो। सही
17.8.20	पत्रावली पेश। वकील अपीलान्ट उपस्थित है। बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक आद्योपान्त गहन अवलोकन एवं मनन किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपील मेमो में अंकित कथन, वाँछित अनुतोषादि, प्रस्तुत दस्तावेज, एवं अपीलाधीन आदेश द्वारा अधिनस्थ न्यायालय पर सम्यक विधिसंगत विचार किया गया। ग्राम मण्डा परवार सर्किल मण्डा में जर्ये विक्रय-पत्र नामान्तर क्रमांक नम्बर $\frac{896}{325}$ रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दि० 24.10.2011 के आधार पर दायर किया गया है। दिनांक 9.5.2012 को संबंधित उ० अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट है कि "जांच की अंकन

घोषित कर दिया गया हो, इस प्रकार का कोई तथ्य हस्तगत प्रकरण में जाहिर नहीं आता है।

प्रकरण में प्राo पत्र O.1.R.10.C.P.C प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विक्रेता की पत्नी व पुत्र को तलब किया जाकर सुना गया। विक्रेता के पुत्र व पत्नी द्वारा यह स्वीकार किया गया कि उनके पिता / पति रामचंद्र द्वारा प्रकरण वर्णित भूमि का बेचान अपीलार्थी को किया जा चुका है। अब हमारे पिता / पति के स्थान पर अपीलार्थी का नाम दर्ज कर दे तो हमें ऐतराज नहीं है। बयान शामिल मिसल किये गये। रेस्पोंडेन्ट / पैरोकार सरकार की अपील अपीलार्थी पर आपत्ति नहीं है। जवाब सरकार शामिल मिसल है।

इस प्रकार प्रकरण के गुणावगुण पर सम्यक विचारोपरान्त हम यह पाते है, कि अधिनस्थ न्यायालय ग्राम - पंचायत मण्डा द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते समय प्रक्रियात्मक त्रुटि

[signature]